फर्द अहकाम

जगदीश बनाम रामरतन वगै०
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़पचवारा, जयपुर

न्यायालय
संख्या 201/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पक्षों ने राजीनामा पेश किया। वकील उभय पक्षों व पक्षकारान को सुना गया। वकील उभय पक्ष व पक्षकारान ने निवेदन किया कि प्रकरण के मुताबिक राजीनामा के आधार डिक्री कर राजीनामानुसार के विवादित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 211, 150, 204 में भंवरी देवी पत्नि गोपाल के नाम दर्ज भूमि में वादी जगदीश पुत्र गोपाल को हिस्सा $\frac{1}{3}$ भाग, प्रतिवादी नं. 1 रामरतन पुत्र गोपाल को हिस्सा $\frac{1}{3}$ भाग, एवं प्रतिवादी नं.2 रामकरण पुत्र गोपाल को हिस्सा $\frac{1}{3}$ भाग अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा तदानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खातेदारी दुरुस्तीकरण के आदेश दिया जावे। साथ ही के वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पेश कर निवेदन किया कि वाद को राजीनामा अनुसार घोषणा खातेदारी की डिक्री की जावे व बटवारे के अनुतोष को वादी प्राप्त नहीं करना चाहता है उक्त प्रा.पत्र आ० 23 (1) CPC को शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों व पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली मेउपलब्ध	

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़पचवारा

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम रामरतन वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 20/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC को स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बंटवारा का अनुतोष नहीं चाहने पर धारा 53 को खारिज की जाती है तथा वाद पत्र में अंकित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा के निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावे। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।
		उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
20/2016

तारीख फैसला
03/12/2024

1. जगदीश पुत्र भोला जाति मीणा निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

रामरतन पुत्र भोला जाति मीणा निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
रामकरण पुत्र भोला जाति मीणा ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
मांगी देवी पत्नि भोला (दौराने वाद मृतक नाम हजफ)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
उप पंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वाके ग्राम नायला पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमियां है। उल्लेखित आराजियात विवादित आराजियात है जिन्हे आगे दावे में विवादित आराजियात लिखा गया है। वाद में सजरे अनुसार भौला के तीन पुत्र सन्तान हुई। जिनका भौला की खातेदारी भूमियों मे उसके तीनों पुत्रों का एक समान हित निहित है तथा अनुसूचित जाति में विधवा को कोई अधिकार प्राप्त नही है इसलिये मांगी देवी को भोला की खातेदारी भूमियों में कानूनन किसी प्रकार को कोई हकाधिकार नही है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को ही भौला की सम्पत्तियों मे 1/3–1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी हक अधिकार निहित है जबकि राजस्व रिकार्ड में 1/4–1/4 हिस्सा मांगी देवी के साथ दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को भौला की सम्पत्ति का 1/3 हिस्से का बरूहे खातेदार होने से वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात मे खसरा नम्बर 211 में वादी एवं प्रतिवादी स 1 ता 2 का पृथक–पृथक 1/3–1/3 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 150, 204 में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है जबकि राजस्व रिकार्ड मे मांगी देवी बेवा भोल्या के नाम विधि विरूद्ध प्रकार से खातेदारी दर्ज कर देने से राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 को संयुक्त रूपसे 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कर मांगी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को भोल्या के नाम दर्ज 1/2 हिस्से मे 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अलम दरामद करवाया जाकर इसी अनुसार वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

ादीगण के मध्य विधिक बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी सं0 3 मांगी देवी ने अपने नाम दर्ज ाजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के हिस्से का हकत्याग अकेले प्रतिवादी सं0 1 के हक मे कर दिया तथा दावित्या आराजियात मे से अपना हक त्याग कर दिया जिससे बरूऐ कानूनन उक्त त्याग पत्र दिनांक 29.12.2015 के आधार पर अकेले प्रतिवादी सं0 1 को कोई अधिकार ना होकर समान रूप वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को हक त्याग की गई भूमियो मे समान खातेदारी अधिकार प्राप्त है ानूनन हकत्याग करने पश्चात हकत्यागकर्ता का भूमि से हक हटा दिया जाता है और उसके ाावा शेष बचे सभी सहखातेदारो के हिस्से में त्यागकर्ता का हक निहित हो जाता है कानूनन ्यागपत्र के द्वारा पृथक से नामा0 की प्रकिया नही होनी चाहिये। इस कारण मांगी देवी का हक दवस्त आराजियात से हकत्याग करने से हटा दिया जावें और शेष वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ; हक मे 1/3-1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे। अत उक्त वर्णित आराजियात वाके ाम नायला के खसरा नम्बर 211 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 11 बस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमियों में प्रतिवादी सं0 3 मांगी देवी का नाम ाजस्व रिकार्ड में से हजफ किया जाकर उसके हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को /3-1/3 हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 े हक मे किया गया हक त्याग वादी के अधिकारों के प्रभाव में प्रारम्भ से ही शून्य करार दिया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। जवाब दावे में प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने निवेदन किया किया कि वादांकित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 एक समान 1/3-1/3 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है तथा उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की पैतृक खातेदारी भूमियां है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की माता मांगी देवी बेवा भोला के हिस्से की भूमियों मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का एक समान 1/3-1/3 हक हिस्सा निहित है जिस अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1ता 2 काबिज काश्त है। मांगी देवी की भूमियों में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का 1/3-1/3 हिस्सा है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 काबिज काश्त है। जिन्हे खातेदार घोषित किया जावें जिसके लिये प्रतिवादी सं0 1 ता 2 सहमत है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की माता मांगी देवी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हक में किया गया हकत्याग वादी व प्रतिवादी सं0 2 के अधिकारों के प्रभाव में प्रारम्भत शून्य है तथा प्रतिवादी सं0 1 के हक में निष्पादित हकत्याग की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 का भी एक समान हक निहित है जिसके लिये प्रतिवादी सं0 1 सहमत है तथा मै प्रतिवादी सं0 1 अपने पूर्ण होश हवास में यह जवाब दावा बिना किसी दाबदोष के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा हकत्याग के संबंध में भविष्य में कोई कार्यवाही नही करूगा जिसके लिये मै प्रतिबंधित रहूगा तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को मांगी देवी के नाम दर्ज भूमियों मे एक समान 1/3-1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें जिस हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 मौके पर काबिज काश्त है।

प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व वादी ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से पक्षकारो कीओर से राजीनामा द्वारा पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विधिवत भूमि के हक घोषणा बाबत हम दोनों पक्षों क मध्य आपसी भाई चारे से एवं लोक अदालत की भावना से मिल बैठकर राजीनामा कर लिया गया है। दोनों पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा व समझौता अनुसार उक्त प्रकरण मे वर्णितानुसार खसरा नम्बर 211 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा में पक्षकारों के मध्य बतौर राजीनामा निर्णय कराने मे पूर्णतया रजामन्दी हो चुकी है। वादांकित भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि में हिस्सा 1/8 के संबंध में पक्षकारों में प्रतिवादी सं0 4 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हित में दिनांक 28.12.2015 किये गये हकत्याग पत्र को पक्षकारों के पैतृक हक अधिकारों के विरूद्व अवैध व शुन्य प्रभावी करार दिया जाता है, जिसमे हम पक्षकार पूर्णतया रजामन्द है। प्रतिवादी सं0 4 मांगी देवी पत्नि भोल्या के दर्ज हिस्सा मे वादी का हिस्सा 1/3 भाग, प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/3 भाग एवं प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/3 भाग अनुसार पैतृक हक निहित व स्थित चला आ रहा है, जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को खातेदार घोषित कर दिया जावे. जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 पूर्णतया सहमत व रजामन्द है। अत: लोक अदालत की भावना से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों में मुताबिक राजीनामा के दावा डिकी कर मांगी देवी पत्नि भौला के नाम दर्ज भूमि में वादी जगदीश पुत्र भौला को हिस्सा 1/3 भाग अनुसार एव प्रतिवादी सं0 1 रामरतन पुत्र भौला को हिस्सा 1/3 भाग अनुसार एवं प्रतिवादी सं0 2 रामकरण पुत्र भौला को हिस्सा 1/3 भाग अनुसार खातेदार घोषित किया जावे एव तदानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के खातेदारी दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावे। उपरोक्तानुसार निर्णय व डिकी पारित कर पक्षकारों के मध्य विवाद का अन्तिम निस्तारण कराया जावे।

उपखण्ड ... रामगढ़

हमने बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब दावा तथा राजीनामा का लोकन किया। बहस सुनने व अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में धारा 88 राजस्थान श्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अंकित भूमि खसरा खसरा नम्बर 211 रकबा बीघा 10 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 बा 6 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम नायला, पटवार हल्का यला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में मांगी देवी के नाम दर्ज हिस्से मे से वादी जगदीश भौला को हिस्सा 1/3 भाग अनुसार एवं प्रतिवादी सं0 1 रामरतन पुत्र भौला को हिस्सा 1/3 ग अनुसार एवं प्रतिवादी सं0 2 रामकरण पुत्र भौला को हिस्सा 1/3 भाग अनुसार मुताबिक जीनामा के खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया ाता है कि नियमानुसार उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मांगी देवी के नाम दर्ज हिस्से में से वादी वं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का पृथक-पृथक हिस्सा 1/3-1/3 खातेदार काश्तकार अंकित किया ावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवावें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03/12/2024 को खुले न्यायालय मे ुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ